मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ

डीजी-परिपत्र संख्या- 6 8 /2012 दिनांक:लखनऊ: जनवरी 31, 2012

सेवा में,

1. समस्त पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)/प्रशासन/कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ0प्र0।
5. पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
6. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं राज्य लोक सेवाअधिकरण में प्रचलित प्रकरणों में उचित पैरवी के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के पत्र संख्या-डीजी-दस-वि030-213/2011 दिनांक 14.04.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत करते समय नैरेटिव या प्रतिशपथपत्र का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-690/सात-न्या0अनु0प्रको0/2010 दिनांक 23.06.2010 के क्रम में निर्गत किए गए है।

2. प्राय: यह देखने में आया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं राज्य लोक सेवा अधिकरण में लम्बित प्रकरणों में बहस के दौरान संबंधित शासकीय अधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता/अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा जो सूचनाएं या अभिलेख समयबद्ध ढंग से अग्रिम तिथि का उद्धरण देते हुए मांगे जाते है, इस संबंध में त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती है अथवा सरसरी तौर पर अधीनस्थों द्वारा बिना प्रकरण का गम्भीरता से परीक्षण किए आख्या भेज दी जाती है। मा0 न्यायालय/अधिकरण द्वारा इस प्रकार की लापरवाही हेतु अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है।

3. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं राज्य लोक सेवा अधिकरण से संबंधित प्रकरणों की गम्भीरता से समीक्षा की जाए तथा इस संबंध में एडवोकेट आन रिकार्ड, शासकीय अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशों/निर्देशों के अनुपालन हेतु जो भी पत्र जारी किए जाते है, उनका गम्भीरता से अध्ययन कर निर्धारित अग्रिम तिथि से पूर्व प्रत्येक दशा में उसका उत्तर तथा माँगी गयी समस्त सूचनाएं एवं सन्दर्भित अभिलेखों की प्रतियाँ आदि भेजना सुनिश्चित करें। संशय की दशा में संबंधित शासकीय अधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता से दूरभाष पर वार्ता कर समस्या का निदान किया जाय ताकि मा0 न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न न होने पाए।

4. आप सभी अवगत होंगे कि शासकीय अधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी को भेजे जाने की अपेक्षा की जाती है. किन्तु आप प्रायः भिज्ञ अधिकारी न भेजकर किसी ऐसे अधिकारी को भेज देते है जो प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी नही रखता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक कार्य प्रभावित होता है। अतः जब भी किसी भिज्ञ अधिकारी की अपेक्षा की जाये तो प्रकरण की जानकारी रखे जाने वाले अधिकारी को ही भेजा जाये।

5. उक्त निर्देशों का भविष्य में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, जिससे न्यायिक कार्य सुगमता पूर्वक सम्पन्न हो सके।

31.1.

(अतुल)

पुलिस महानिदेशक

उ0प्र0लखनऊ।